न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/467

1. युवरांज सिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी राजलिया तहसील नावा जिला नागौर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. मन्दीप सिंह निवासी ग्रामवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुंनू।
2. मानवेन्दर सिंह निवासी ग्रामवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुंनूं
3. विक्रम सिंह निवासी ग्रामवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुंनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुंनू।
5. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री प्रशान्त सोनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रोशनलाल शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 11.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि यह कि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 कानून, तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरित जाकर पारित किया गया है, जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा कानून के सुस्थापित प्रावधानों को नजरअंदाज उक्त आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है जो कि भारत के संविधान के आधार पर लिखित वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित निर्णय अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है, जिसमें जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पूर्व मे पारित आदेश 24.01.2016 जो राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (ब) के अन्तर्गत पारित किया गया था, जिसको जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा अपने एकपक्षीय आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.07.2022 के द्वारा प्रत्याहरित/निरस्त करने का आदेश पारित किया गया था। जिला कलक्टर, झुन्झुनूं

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

के द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.10.2016 न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत कानून के सुस्थापित प्रावधानों के अन्तर्गत दिये गये नियमों के अन्तर्गत उक्त संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया था। जिसके विरूद्व चाराजोही करने एवं उक्त आदेश को प्रत्याहरित/निरस्त करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर झुन्झुनूं को प्राप्त नहीं था, राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम 2007 के अन्तर्गत किसी भी नियम में जिला कलक्टर स्वयं को अपने ही आदेश को सुनने एवं उसको प्रत्याहरित/निरस्त करने का नियम व प्रावधान नहीं है। जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 केवल मात्र सक्षम न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर चुनौती देने का अधिकार था। इसलिए न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित आदेश आक्षेपित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2022 काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तथा विधिक प्रक्रिया की अवहेलना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा अपने समक्ष एक तथाकथित शिकायतकर्ता जो कि अपने आप को ग्रामवासी बताकर शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। विद्वान जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा किन नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र/शिकायत पर प्रकरण को दर्ज किया गया, तथा नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त अपीलाधीन आक्षेपित आदेश दिनांक 12.07.2022 पारित किया गया, का विवरण अपने सम्पूर्ण निर्णय में अंकित नहीं किया गया, तथा ना अंकित किया गया, कि किस नियम के अन्तर्गत उक्त तथाकथित शिकायत पर प्रकरण को दर्ज किया गया, इसलिए जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 कानून के प्रावधानों एवं न्याय के सुस्थापित प्रावधानों के विपरित होने के कारण काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एकपक्षीय तौर पर बिना अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए पारित किया गया है, जो कि विधि के द्वारा स्थापित प्रावधानों के विरूद्व होने के कारण काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि वर्तमान अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद दिनांक 31.05.2016 को जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट मय पटवारी हल्का फर्द, तहसीलदार से नक्शा प्रमाणितशुदा, आबादी से दुरी, तथा प्रस्तावित भूमि तक पहुँच हेतु रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश पारित किए गए। जिस पर पटवारी हल्का, पौंख एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.05.2016 की पालना में मौका रिपोर्ट, मय नजरी नक्शा दिनांक 06.07.2016 को विधि के अनुसार मौका निरीक्षण

कर तैयार करके उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को प्रेषित की गई। जिसमें प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शें में प्रयोजनार्थ भूमि विस्फोटक मैंगजीन कैपिटल एम में दर्शायी गई है, उक्त प्रस्तावित भूमि से स्कूल की दूरी 2 किलो मीटर पर अर्थात एफ बिन्दु के आधार पर दर्शाइ गई है, तथा रूपान्तरित भूमि की ग्राम पौंख की आबादी से 3.5 किलोमीटर दूरी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। प्रस्तावित भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध है, मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल रास्ता बना हुआ है। जिसकी चौडाई 9 मीटर होना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ पडोसी खातेदारों के सहमति के शपथ प्रस्तुत किए गए। ग्राम पंचायत पौंख जरिये सरपंच मूलचन्द सैनी के द्वारा दिनांक 10.05.2016 को अनापति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बैठक 05.05.2016 के प्रस्ताव संख्या 3 के आधार पर उक्त अनापति नहीं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त सभी तथ्यो नजरअंदाज कर जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बगैर आक्षेपित क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया गया है। जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक12.07.2022 निरिस्त करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी आराजी में लगाई गई मैगजीन तक जो का रास्ता मात्र 12 से 15 फीट चौड़ा है वह सदियों से मांलकेत में स्थित मंदिर तक श्रदालूओं का आना–जाना होता है व ग्रामवासी भी उक्त रास्ते से आते–जाते है, इस मन्दिर के आस–पास के लोग भी दर्शन करने के लिए इसी रास्ते से आते जाते है और इसी रास्ते का उपयोग विस्फोटक मैगजीन के वाहन काम में ले रहे है तथा यह रास्ता ग्राम पौंख के बीचों–बीच आबादी क्षेत्र से गुजरता है उक्त रास्ते से मैगजीन के भारी भरकम वाहन निकलते है, इसी रास्ते पर दो स्कूल भी स्थित है जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर ही आमजन के हितार्थ शिकायती पत्र अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी की संपरिवर्तित आराजी तक जाने के लिये कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाकर अपनी आराजी का संपरिवर्तन कराया गया जो शिकायत के बाद तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की रिपोर्ट भी स्पष्ट साबित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

8

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलार्थी की भूमि के सम्बन्ध में संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.10.2016 जारी किया गया है तथा ग्राववासी पौंख द्वारा जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष उक्त संपरिवर्तन आदेश के सम्बन्ध में शिकायत होने पर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा प्रकरण में जॉच करवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की रिपोर्ट के अनुसार संपरिवर्तित भूमि तक रास्ता उपलब्ध बताया है लेकिन उक्त रास्ता गैर मुमकिन नाले से होकर जाना एवं उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नही होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ जिला कलक्टर के समक्ष संपरिवर्तित भूमि तक पहुँच रास्ते सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर संपरिवर्तन आदेश पारित करवाया गया है जो नियमों के विरूद्ध एवं विधि सम्मत नही होने के कारण अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2022 के माध्यम से संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.10.2016 को प्रत्याहारित/निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/7/23
संभागीय आयुक्त
जयपुर